संख्या-11/2024/आई/553358/तेइस-7-2024-23-7099(099)/9/2023

प्रेषक,

रिपुन्जय गुप्ता,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 06 मई, 2024

विषय:श्री उमाकान्त कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सेवानिवृत्त, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा के स्वयं की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-702 व्यग/07 व्यग(23)/2023, दिनांक 20.03.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत श्री उमाकान्त कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सेवानिवृत्त, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा द्वारा स्वयं के पारस हॉस्पिटल, गुड़गॉव हरियाणा में दिनांक 14.01.2023 से 28.01.2023 तक कराये गये उपचार पर व्यय धनराशि रू0 8,47,000/- (रूपये आठ लाख सैतालिस हजार मात्र) के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इटावा द्वारा भुगतान हेतु संस्तुत धनराशि रू0 7,76,199/- (रूपये सात लाख छिहत्तर हजार एक सौ निन्यानवे मात्र) की चिकित्सा प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त चिकित्सा दावे से संबंधित बिल/बाउचर्स, अनिवार्यता प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का भुगतान किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित बिलों का भुगतान इसके पूर्व नहीं हुआ है और यदि उक्त चिकित्सा हेतु कोई अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गयी हो तो उसे समायोजित कर लिया जाय।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-62 के अधीन लेखाशीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तिक हित लाभ-01-सिविल-800 अन्य-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-अन्य-व्यय" के मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रिपुन्जय गुप्ता)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-11/2024/आई/553358(1)/तेइस-7-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- नोडल अधिकारी, बजट, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद इटावा।

5- अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा।

6- श्री उमाकान्त कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सेवानिवृत्त, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा।

7- गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(रिपुन्जय गप्ता)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।